न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./01/16/नागौर (2015/00129)

विभागीय अपील द्वारा श्री भंवर सिंह राव, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत चाण्डी, पंचायत समिति मकराना जिला नगौर विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर दिनांक 10–10–2014 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत 33163 रूपयें मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज के वसूल करने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

उपस्थितः– 1. श्री भंवर सिंह राव, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत चाण्डी, पंचायत समिति मकराना जिला नगौर

निर्णय

दिनांकः– 25.10.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर के आदेश क्रमांक 796 दिनांक 10–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 03–06–2010 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

यह है कि आपके ग्राम पंचायत चाण्डी के ग्राम सेवक पद पर कार्यरत रहते हुए नरेगा कार्य पिपराली नाडी खुदाई नहर बंधाई कार्य के नवम्बर 2009 के प्रथम पखवाड़े के मस्ट्रोल संख्या 569089 क्रमांक 4 पर भोमाराम पुत्र धन्नाराम निवासी चिडालिसा राशि रूपये 650/– दर्ज है तथा इसी कार्य पर इसी पखवाड़े में

मस्टररोल संख्या 569098 के क्रमांक 2 पर उक्त भोमाराम का नाम दर्ज कर श्रमिक श्रेणी के कॉलम में टंकी तथा 1300/– रूपये दर्ज है। इसी प्रकार दिसम्बर 2009 के प्रथम पखवाड़े के लिए जारी मस्टररोल नम्बर 16317 (न.कि.म. न.16370) के क्रमांक 5 पर उक्त भोमाराम का नाम अकुशल श्रमिक के रूप में दर्ज है। इसकी राशि 1078 रूपये तथा इसी पखवाड़े के दूसरे मस्टररोल नम्बर 17027 में उक्त व्यक्ति का नाम तथा 200/– दर्ज है। इस प्रकार आप द्वारा एक ही व्यक्ति का एक ही समय में अलग–अलग मस्टररोल में उपस्थिति दर्ज कर राजकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–2

यह है कि आप द्वारा ग्राम पंचायत चाण्डी के ग्राम सेवक पद पर कार्यरत रहते हुए एक ही परिवार के राशनकार्ड में नाम सम्मिलित होते हुए भी आप द्वारा अलग–अलग जॉबकार्ड बना दिये गये है। आप द्वारा मंगाराम पुत्र मुन्नाराम के राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम अलग–अलग चार जॉब कार्ड शंकरलाल, मंगाराम सिणगारी देवी के नाम से जॉब कार्ड नम्बर 1528/3913435 सी, 15280/3913435ए, 15,544/3913435डी के बना दिये। इसी प्रकार अन्य परिवारों के भी एक से अधिक जॉब कार्ड बनाकर आप द्वारा गम्भीर अनियमितता बरती गई है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–3

यह है कि आपके ग्राम पंचायत चाण्डी के ग्राम सेवक पद पर रहने के दौरान ग्राम देवला में गुवाड़ से शिवराम जाट के मकान तक खरंजा व नाली निर्माण कार्य में 333 मीटर लम्बाई में उक्त कार्य किया जाना उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाकर राशि रूपये 3,94,840/– रूपये की राशि आहरित की गई है परन्तु मौके पर खरंजा 165 मीटर ही बना हुआ है। इस खरंजा निर्माण में नाली कहीं पर भी नहीं बनाई गई है। इस प्रकार ग्राम देवला में मैन गुवाड़ से मुसाणी नाडी तक नाला निर्माण का कार्य नहीं करवाकर 2,82,100/– रूपये राशि हस्तान्तरित की गई है। इस प्रकार आप द्वारा वित्तीय अनियमितता बरतकर राजकीय राशि का गबन किया गया है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–4

यह है कि आपके ग्राम पंचायत चाण्डी के ग्राम सेवक पद पर रहते हुए नरेगा योजना में चिण्डालिया से चाण्डी ग्रेवल सड़क, चाण्डी से देवला ग्रेवल सड़क एवं चिण्डालिया से सूंथली ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया जिन पर पुलिया निर्माण की भी स्वीकृति ली गई लेकिन मौक पर कहीं भी पुलिया निर्माण नहीं करवाया गया। इस प्रकार आप द्वारा गंभीर अनियमितता बरती गई है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–5

यह है कि आपके ग्राम पंचायत चाण्डी के ग्राम सेवक पद पर रहते हुए नरेगा योजना में स्वीकृत 2 कार्यो में से एक कार्य अपूर्ण तथा दूसरा कार्य बिल्कुल ही नहीं किया गया जबकि इन कार्यो के पेटे राशि रूपये 3,94,840/– व 282,100/– कुल 6,76,940/– रूपये ग्राम पंचायत द्वारा उठाकर फर्जीवाड़ा व भारी अनियमितता बरत कर राजकीय राशि का गबन किया गया है जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अपीलार्थी ने आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने से पहले दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया परन्तु दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये इसलिए अपीलार्थी ने अपना स्पष्टीकरण प्रेषित किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, नागौर ने स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना ही विकास अधिकारी पंचायत समिति मकराना को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने विधिवत रूप से कार्यवाही पूर्ण कर पत्र क्रमांक 464 दिनांक 3–9–2014 के द्वारा जांच रिपोर्ट भेजी। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी पर लगाये गये पांचों आरोप अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं माने। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर ने अपीलार्थी की सुनवाई नहीं की और आदेश दिनांक 10–10–2004 पारित कर अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध 33163/– रूपये मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज के वसूल करने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण समाप्त करने का निर्णय पारित कर दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुना गया इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर द्वारा जिला पारित आदेश दिनांक 10–10–2014 सीसीए नियमों के नियम 16(2) के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है उसके बारे में अपीलार्थी की कोई शिकायत नहीं थी। मूल रूप से शिकायत सरपंच के विरूद्ध राजनैतिक से प्रेरित होकर की गई थी जिससे अपीलार्थी का कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार आई.एल. आर (1977) राज0 पृष्ठ 1220 एवं 1970 (1) एस.एल.आर. (एस.सी.) पृष्ठ 840 में उल्लेख है कि अस्पष्ट व अपूर्ण आरोपों के आधार पर पारित किया दण्डादेश निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह कथन किया कि अपीलार्थी ने आरोपों से संबंधित दस्तावेजात की नकले चाही गई जो उनको उपलब्ध नहीं करायी गई। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 (3) में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकारी कर्मचारी को अपना बचाव करने के लिए अभिलेख का अवलोकन करावे तथा दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करवाना आवश्यक है। सीसीए नियम 16 (9) में उल्लेखित है कि अनुशासनिक अधिकारी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद उसकी समीक्षा करेगा तथा अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आरोपों को प्रमाणित/अप्रमणित होने के कारण अंकित करते हुए विस्तृत आदेश पारित करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आरोपों को प्रमाणित मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक 464 दिनांक 3–9–2014 में अपीलार्थी पर लगाये गये पांचो आरोप प्रमाणित नहीं माने। इसके बावजूद भी अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली राशि निकाली गई है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 के तहत अनुशासनिक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह दण्डादेश में इस विषय पर स्पष्ट आदेश पारित करे। प्रावधान में यह भी स्पष्ट है कि यदि आरोप प्रमाणित नहीं माने जाते है तो अपचारी

कर्मचारी को निलंबित अवधि का सम्पूर्ण परिलाभ देय होंगे तथा निलंबन अवधि सेवा में शुमार मानी जावेगी। अपीलार्थी के विरूद्ध पांचो आरोप प्रमाणित नहीं माने गये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को निलंबन अवधि का सम्पूर्ण परिलाभ देय है। अनुशासनिक अधिकारी ने इस विषय पर कोई भी आदेश पारित नहीं करने से अपीलार्थी को निलंबन अवधि का ना तो शेष वेतन दिया गया है और ना ही वेतन वृद्धियां एव ना ही उक्त अवधि को सेवा में शुमार माना गया है जिसके कारण अपीलार्थी को पेंशन में अपूर्णनीय क्षति हुई है तथा अभी तक पेंशन के सम्पूर्ण परिलाभ नहीं दिये गये है। ऐसी स्थिति में आदेश पूर्णतया विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने अपील में एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलाट दिनांक 30–9–2011 को राज्य सेवा से सेवानिवृति हो गया, इसके पश्चात मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर को सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय जांच को आगे कायम रखकर उस पर आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। नियम16 के प्रावधान राज्य कर्मचारी पर लागू होते है दिनांक 10–10–2014 को अपीलार्थी राज्य कर्मचारी न होकर सेवानिवृत कर्मचारी था इसलिए नियम 16 के तहत आदेश पारित किया है वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया कि उक्त प्रकरण से संबंधित जो शिकायत थी वह राजनीतिक द्वेषता से पूर्व सरपंच सूजाराम के विरूद्ध थी। शिकायतकर्ताओं ने पूर्व सरपंच सूजाराम के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई. आर दर्ज करवाई तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों विभाग में भी परिवाद दर्ज करवाया। पूर्व सरपंच ने इस कार्यवाही से खफा होकर आत्म हत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का काई संबंध नहीं होने पर भी अपीलार्थी को सहअभियुक्त बनाया गया। लेकिन पुलिस जांच में एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों विभाग में की गई जांच में मामला प्रमाणित नहीं हुआ तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग ने एफ.आर लगा दी तथा न्यायालय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम जोधपुर ने दिनांक 11–10–2012 को आदेश पारित कर उक्त प्रकरण में लगाई गई एफ.आर को स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण में हर स्तर पर जांच की गई जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रमाणित नहीं माना है फिर भी अपीलार्थी से जो राशि वसूली के आदेश पारित किये है जो निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपों की जांच सहायक अभियन्ता पंचायत समिति मकरना, सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बोरावडा, लेखाकार पंचायत समिति मकराना ने की । उक्त कमेटी ने भी अपीलार्थी के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये उनको प्रमाणित नहीं माना एवं जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि समस्त प्रगतिरत कार्यो का अब तक आय एवं व्यय का विधिवत सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2008–09 व 2009–10 पूर्ण कोरम के साथ किया हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार का आक्षेप दर्ज नहीं हुआ है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार समस्त कार्य किये गये है सभी कार्यो की गुणवत्ता अच्छी है तथा कार्य उपयोगी साबित हो रहे हे। इस आधार पर कमेटी ने प्रकरण समाप्त करने की अनुशंषा की है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 1 के संबंध में कथन किया कि भोमाराम पुत्र धन्नाराम का नाम दो जगह इसलिए आया है कि एक नाम श्रम पेटे तथा दूसरा नाम सामग्री पेटे अथवा भोमाराम ने पानी की टंकी मुहैया कराई थी जिसका भुगतान किया गया था। इस आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है।

अपीलार्थी ने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 2 के संबंध में कथन किया कि जॉब कार्ड बनाने का दायित्व सरपंच का है ग्राम सेवक का नहीं है। परिवार क्रमांक बीपीएल सर्वे 2002 के अनुसार जो परिवार अलग–अलग निवास करते है विभाजन की स्थिति में परिवार का कम्पयूटर कोर्ड देखते हुए अबस इत्यादि से नम्बर अंकित करते है इस प्रकार परिवार का आधार राशन कार्ड नहीं होकर चूल्हा दीठ है। यह दीठ व्यक्ति की स्वयं घोषणा के आधार पर जॉब कार्ड बनाये गये थे। इन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जांच अधिकारी ने यह आरोप अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं माना है।

अपीलार्थी द्वारा आरोप संख्या 3 के संबंध में जवाब दिया गया है कि ग्रेवल सड़क व पुलिया निर्माण चाण्डी से देवला चिण्डालिया सीमा तक का भुगतान पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सरपंच की अनुमति से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गई है। निर्माण कार्य अभी भी मौके पर मौजूद है जिसका लाभ लिया जा रहा है।

अपीलार्थी द्वारा आरोप संख्या 4 व 5 के बारे में जवाब दिया गया है कि निर्माण में जो भी सामग्री उपयोग की जाती है या जो भी निर्माण मौके पर होता है

वह कनिष्ठ अभियन्ता की मौजूदगी में होता है। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा एमबी भरने के बाद ही भुगतान किया जाता है जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई । इस प्रकार सभी जांच अधिकारियों ने अपीलार्थी पर लगाये गये पांचो आरोप प्रमाणित नहीं माने है फिर भी केवल अपीलार्थी से राशि वसूली का आदेश पारित करना किसी भी स्थिति में विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के विरूद्ध पेंशन परिलाभ में से 33163/– मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूल करने का निर्णय निरस्त करने व निलंबन अवधि को सेवा में शुमार किये जाने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि अपीलाट द्वारा आदेश दिनांक 10–10–2014 न्याय विभाग व रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के विपरीत पारित होना बताया है जबकि प्रकरण में कार्यालय टिप्पणी के बिन्दु संख्या 49 के द्वारा पत्रावली जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10–10–2014 में प्रस्तुत करने के पूर्व लेखाधिकारी जिला परिषद नागौर को अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई। लेखाधिकारी द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित करते हुए लिखा है कि जांच प्रतिवेदन अनुसार 33,163/– रूपये की वसूली मय 18 प्रतशत दण्डनीय ब्याज वसूल कर प्रकरण ड्राप किये जाने का निर्णय लिया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में सरपंच ग्राम पंचायत चाण्डी ग्राम सचिव श्री भंवर सिंह राव रोजगार सहायक श्री संग्राम सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री नाहर सिंह व सुशील कुमार शर्मा तथा फर्जी मस्टररोल भरने वाले मेट को पूर्ण रूप से दोषी माना है। अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी नकले उपलब्ध नहीं कराई गई का कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि इनके द्वारा नकले चाहने पर पत्रावली का अवलोकन कराया गया था। अपीलार्थी को विभागीय जांच के स्तर पर ही सुनवाई का अवसर दिया जाता है। जिला स्थापना समिति में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का कथन कि रिकवरी की गई जो गलत है जबकि विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में आरोप संख्या 3 के क्रम में जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भुगतान 33163/– का मूल्यांकन से अधिक किया गया है। इसी आधार पर वसूली निकाली गई है। अपीलार्थी दिनांक 30–9–2011 को सेवानिवृत हुआ तथा कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही दिनांक 3–6–2010 को ही शुरू कर आरोप पत्र जारी कर दिये गये थे। अतः

अपीलार्थी का उक्त कथन अस्वीकार है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर के अंतिम प्रतिवेदन में श्री राव को अभियुक्त माना गया है। अपीलार्थी ग्राम पंचायत चाण्डी में ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत था तथा निर्माण कार्यो के मूल्यांकन पश्चात भुगतान करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बनती है। इनके द्वारा मूल्यांकन में 33163/– रूपये का भुगतान कर अनियमितता की है। जांच कमेटी द्वारा कार्यो का मूल्यांकन व भुगतान संबंधी जांच नहीं की है केवल मौके पर करवाये गये कार्यो का अवलोकन ही किया गया है।

उन्होंने यह भी कथन किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व विस्तृत जांच में विकास अधिकारी तथा तीन सदस्य कमेटी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं माने है लेकिन मूल्यांकन से 33,163/– का अधिक भुगतान करना राजकीय राशि का दुरूपयोग है। मस्टररोल में मजदूरों के नाम ग्राम सेवक नहीं लिखता है उक्त कार्य मेट व सरपंच करते है जबकि ग्राम सेवक का कर्तव्य है कि उक्त कार्यो पर मस्टररोलों में लगाये गये मजदूरों की समय–समय पर निरीक्षण कर उपस्थिति की जांच करे। अपीलार्थी का कथन है कि जॉब कार्ड बनाने का का कार्य सरपंच का है ग्राम सेवक का नहीं, यह कथन असत्य है, सरपंच जनप्रतिनिधि है उसका दायित्व जॉबकार्ड बनाने का नहीं है। जॉब कार्ड सरकारी कार्मिक द्वारा ही बनाये जाते है। अपीलार्थी का कथन कि निर्माण में जो भी सामग्री उपयोग में ली जाती है या जो भी निर्माण मौके पर होता है वह कनिष्ठ अभियन्ता की मौजूदगी में होता है यह कथन बिल्कुल असत्य है। कार्य शुरू होने व पूर्ण होने तक पूरे समय तक कनिष्ठ अभियन्ता कार्य पर उपस्थित नहीं रहता है। ग्राम सेवक का भी दायित्व बनता है कि उसे भी कार्यो की प्रभावी मोनिटरिंग करनी चाहिए। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10–10–2014 में लिये गये निर्णय अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर द्वारा प्रेषित टिप्पणी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जारी अपीलाधीन दण्डादेश श्री भंवर सिंह राव, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत चाण्डी, पंचायत समिति मकराना को निर्माण कार्यो का मूल्यांकन से अधिक भुगतान

करने के कारण राशि रूपये 33,163/– मय 18 प्रतशत दण्डनीय ब्याज वसूल कर प्रकरण समाप्त करने का उल्लेख है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर, तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति मकराना, तीन सदस्यो की कमेटी द्वारा की गई जांच में सभी आरोप अपीलार्थी पर प्रमाणित नहीं माने गये है। तीन सदस्यों की कमेटी ने जांच रिपोर्ट में यह भी माना है कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण किये गये है तथा वर्तमान में उपयोगी साबित हो रहे है तथा सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 2–9–2009 व 9–9–2010 में किये गये सामाजिक अंकेक्षण में किसी प्रकार का आक्षेप किसी पर भी नहीं लगाया जाना पाया गया है। ग्राम सेवक पर लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुए दोषमुक्त करने की अनुशंषा की है। साथ ही न तो अपचारी ग्राम सेवक को 33,163/– की वसूली बाबत आरोप पत्र में कोई आरोप आयत किये जाने और न ही इस बाबत उनसे कोई स्पष्टीकरण लिये जाने का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अलावा पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि मृतक दोषी सरपंच के विरूद्ध उसकी मृत्यु से पूर्व कोई कार्यवाही अमल में लाई गई हो। जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जांच अधिकारी एवं तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा पांचों आरोप प्रमाणित नहीं माने गये हैं, तो फिर जिला स्थापना समिति को अपीलार्थी से ही राशि रूपये 33,163/– मय 18 प्रतशत दण्डनीय ब्याज वसूल करने का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

पुलिस जांच में एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों विभाग में की गई जांच में मामला प्रमाणित नहीं होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफ.आर लगा दिये जाने से न्यायालय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम जोधपुर द्वारा भी दिनांक 11–10–2012 को आदेश पारित कर उक्त प्रकरण में लगाई गई एफ.आर को स्वीकार किया गया है। उक्त प्रकरण में हर स्तर पर जांच की गई जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रमाणित नहीं माना गया है फिर भी अपीलार्थी से राशि वसूली के जो आदेश पारित किये गये है वह विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर द्वारा दण्डादेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को इस बिन्दु पर न तो कोई आरोप पत्र दिया गया है तथा ना हीं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर द्वारा जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10–10–2014 में प्रस्ताव पारित कर राशि रूपये 33,163/– मय 18 प्रतशत दण्डनीय ब्याज वसूल करने का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त प्रकरण में समस्त जांचों में कोई भी आरोप

अपीलार्थी पर प्रमाणित नहीं पाये गये है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को दिया गया दण्ड विधिसम्मत नहीं होने से निलंबन अवधि के समस्त लाभ व परिलाभ देय होंगे। अतएव ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 10–10–2014 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला स्थापना समिति नागौर की बैठक दिनांक 10–4–2014 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर का आदेश क्रमांक जिपना/संस्था/2014/796 दिनांक 10–10–2014 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है । अपीलार्थी को निलंबन अवधि के समस्त लाभ व परिलाभ देय होंगे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:01:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: